

न्यायालय :- विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण, पाली (राज0)

सरकार बनाम जगदीश वगैरह

सेशन प्रकरण संख्या 19/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11.07.2025	विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्तगण उपस्थित। मुलजिमान गणपतलाल व कान्तिलाल फौत. हो चुके हैं, मुलजिम कान्तिलाल के विरुद्ध दिनांक 19.08.2019 को कार्यवाही अबेट की जा चुकी है। मुलजिम जगदीश व मनोहरलाल मय अधिवक्ता उपस्थित। मुलजिमान दयाराम व सुनिलदास अनुपस्थित जिनकी हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश हुई, जो आज के लिये स्वीकार की जाती है। मुलजिमान रूपाराम, चम्पालाल, लखपत के विरुद्ध कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस.बी किमीनल 6219/2019 व एस.बी. किमीनल 6217/2019 में लम्बित होने से स्टे है। मुलजिमान रघुनाथ व कालू के वारण्ट अदम तामील लौटे हैं। दिनांक 30.01.2021 को अधिवक्ता ने मुलजिम गणपतलाल की मृत्यु होना जाहिर किया है, अतः उक्त मुलजिम की मृत्यु तस्दीक रिपोर्ट तलब हो। मुलजिमान रघुनाथ, कालू खां, बाबू खां व झंवरदास को जरिये गिरफ्तारी वारण्ट तलब किया जावे तथा लालस्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण टारगेट केस है अतः तामील विशेषवाहक से हरसूरत में कराई जावे। पत्रावली वास्ते हाजरी मुलजिम दिनांक 28.07.2025 को पेश हो।  (राकेश गोरा, न्यायाधीश) विशिष्ट न्यायालय, अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण,	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए। 5.11.2019 जगदीश शाह रिजम हुमन मंजर साम कैवस्थित व पूर्ण पता फेरा नही किया जाता है। Vind 15 रिहट 2850 15-7-25 (3)
28.07.25	जगदीश व कालू खां के विरुद्ध के आन वरम जारी हो रहे हैं। मुलजिम जगदीश व कालू खां का पता नियात देते हुए डीपि है। झंवरदास व आन नही मामने लख 810 # स्पष्टीकरण जारी है। मुलजिम जगदीश	15 रिहट 2984 30-7-25 (3)